न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2370–एक/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 15–7–2015 – पारित व्दारा – तहसीलदार बासोदा जिला विदिशा – प्रकरण कमांक 148 अ–74/14–15

1– हरनाम सिंह पुत्र पूरन सिंह रघुवॅशी
2– राघवेन्द्रसिंह पुत्र हरनाम सिंह रघुवॅशी
दोनों निवासी ग्राम गमाखार
तहसील वासोदा जिला विदिशा ––आवेदकगण

विरूद्ध

1– गुलाबसिंह पुत्र पूरन सिंह रघुवॅशी
2– विश्वास सिंह पुत्र गुलाबसिंह रघुवॅशी
दोनों निवासी ग्राम गमाखार
तहसील वासोदा जिला विदिशा –– अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदगण के अभिभाषक श्री सुनील भारद्वाज)

आ दे श

(आज दिनांक 5 –9 –2016 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार बासोदा जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 148 अ–74/14–15 में पारित आदेश दिनांक 15–7–2015 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क-2 ने उनके स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम गमाखार स्थित भूमि सर्वे नंबर 59/1/4, 62/1, 114/1/2, 115, 116, 117/3-ख, 136/1, 137, 138 के सीमांकन की मांग की, जिस पर से प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख कलेक्टर कार्यालय विदिशा ने पत्र दिनांक 22-6-2015 से सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के नेतृत्व में दो राजस्व निरीक्षक, एंव हलका पटवारी तथा दो चैनमेन का सीमांकन दल गठित करते हुये सीमांकन प्रतिवेदन की मांगा, जिस पर से सीमांकन दल ने मेढ़िया कास्तकारों को सूचना उपरांत दिनांक 27-6-15 को मौके पर सीमांकन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे अधीक्षक भू अभिलेख जिला विदिशा ने पत्र दिनांक 9-7-15 से तहसीलदार वासोदा को निर्णय लिये जाने हेतु अग्रेषित किया । तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 148 अ-74/14-15 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 15-7-2015 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम गमाखार स्थित भूमि सर्वे नंबर 59/1/4, 62/1, 114/1/2, 115, 116, 117/3-ख, 136/1, 137, 138 के सीमाचिन्हों का एंव भूभाग का विवाद सामने आने पर अनावेदकगण ने कलेक्टर कार्यालय में सीमांकन हेतु प्रार्थना की है जिस पर से प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख कलेक्टर कार्यालय विदिशा ने पत्र दिनांक

22-6-2015 से सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के नेतृत्व में दो राजस्व निरीक्षक, एंव हलका पटवारी तथा दो चैनमेन का सीमांकन दल गठित किया है। जब सीमांकन दल व्दारा दिनांक 27-6-15 को मौके पर एस0एल0आर0 की टीप व्दारा सीमांकन किये जाने की कुल 18 व्यक्तियों (मेढ़िया कास्तकारों एंव ग्रामीणों) को व्यक्तिगत सूचना पत्र जारी किया, तामील कुनिन्दा व्दारा सूचना पत्र पर निम्नानुसार टीप दी गई है :-

हरनाम सिंह, राघवेन्द्र, भूपेन्द्र ने हस्ताक्षर करने से मना किया.

सीमांकन प्रतिवेदन के पद दो का अॅश भाग इस प्रकार है :-

" उक्त भूमि का सीमांकन टोटल स्टेशन मशीन से किया गया, सीमांकन प्रारंभ करने से पहले स्थाई सीमा चिन्हों की जांच की गई, जांच में खसरा कमांक 119,120,127, के मेढ़ों की जांच में मेढें सही पाई गई जिसे संलग्न नक्शे में A,B,C,D दर्शाया गया है, तद्उपरांत आवेदक की भूमि का सीमांकन प्रारंभ किया गया। सीमांकन के दौरान पाया गया कि गुलाब सिंह व्दारा खसरा कमांक 59/1/1, 59/1/2, 59/1/3 जो अभिलेख में शशिबाई पत्नि हरनाथ सिंह के नाम दर्ज है जिसका कुल रकबा 1.932 है. के भाग 0.533 है. रकबा पर गुलाव सिंह पुत्र पूरन सिंह का कब्जा पाया गया जिसे नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है. इसी तरह विश्वास सिंह पुत्र गुलाब सिंह की भूमि सर्वे कमांक 114/1/2, 115, 116, 117/3-ख कुल रकबा 3.260 है. के भाग 0.560 है. रकबा पर भूपेन्द्र सिंह पुत्र हरनाथ सिंह का कब्जा पाया गया जिसे नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है। इसी तरह 136/1 जो विश्वास सिंह पुत्र गुलाब सिंह के नाम दर्ज है जिसका कुल रकबा 3.000 है. के भाग 0.712 है. रकबा पर हरनाम सिंह पुत्र पूरन सिंह का कब्जा पाया गया जिसे नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है। "

उपरोक्त बेजा कब्जे की स्थिति से स्पष्ट है कि आवेदकगण ने उन्हें सीमांकन हेतु भेजे गये सूचना पत्र पर हस्ताक्षर करने से क्यों इंकार किया है क्योंकि उनकी नीयत साफ नहीं है और दिनांक 27-6-15 को मौके पर सीमांकन किये जाने की जानकारी उन्हें रही है। जहां तक सीमांकन त्रृटिपूर्ण ढंग से किये जाने की आपत्ति का प्रश्न है ?

आवेदकगण ने समय रहते तहसीलदार के समक्ष सीमांकन पर आपत्ति नहीं की है वहीं सीमांकन दल ने टोटल स्टेशन मशीन से सीमांकन किया है जिसके कारण सीमांकन कार्यवाही में किसी प्रकार का दोष नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव तहसीलदार बासोदा जिला विदिशा व्दारा प्रकरण कमांक 148 अ-74/14-15 में पारित आदेश दिनांक 15-7-2015 यथार्थ पर आधारित होने से स्थिर रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर